न्यायालय सहायक कलेक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38 / 2020

वादी

1. हुसेनभाई पुत्र कासमभाई कौम शेख मोयला मुसलमान निवासी ओपा की ढाणी करडा तहसील रानीवाडा जिला– जालोर

प्रतिवादीगण

1. अहमद पुत्र मसरू
2. आलम पुत्र मसरू
3. इब्राहीम पुत्र युसुफ
4. जवता पुत्री रायधन
5. त्रिजा पुत्री रायधन
6. बरगद पुत्र मसरू
7. मेथीबानु पत्नि रायधन
8. मेहबुब पुत्र मसरू
9. रजाक पुत्र मसरू
10. लादु पुत्र कासम
11. सकीना पुत्री रायधन
12. सताबी पत्नि मसरू
13. सदीकखां पुत्र रायधन
14. सुबानखां पुत्र रायधन
15. हबीब पुत्र मसरू जातियान मोयला मुसलमान निवासी ओपा की ढाणी तहसील रानीवाडा जिला जालोर
16. एस.बी.आई शाखा रानीवाडा
17. तहसीलदार रानीवाडा

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12,13, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरबहादूरसिंह देवड़ा
3. प्रतिवादी संख्या 17 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 31.03.2022

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की अलग अलग सामलाती खातेदारी आराजी गांव ओपा की ढाणी के खसरा नबंर 3669 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नबंर 3640 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 3641 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 3642 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 3643 रकबा 0.02 हैक[illegible] नबंर 3644 रकबा 1.96 हैक्टर जुमले रकबा 3.61 हैक्टर, ख[illegible] 3637 [illegible] 0.92 हैक्टर, खसरा नबंर 3335 रकबा 5.35 हैक्टर, खसरा नबंर 3336 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नबंर 3337 रकबा 0.10 हैक्टर जुमले रकबा 0.11 हैक्टर की आ[illegible] हुई है। उक्त खसरा [illegible] की कुल अलग–अलग 4 खाता की प्रमाणित जमाबंदी चालु संलग्न वाद पेश है। यह कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त नवीन खसरा नबंर 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644 के पुराने खसरा नबंर 1146 व 1146 मि. थे। नवीन खसरा नबंर 1637 के पुराने खसरा नबंर 521 थे, नवीन 3335 के पुराने खसरा नबंर 1032 व 1033 मिन थे, तथा नवीन खसरा नबंर 3336 व 3337 के पुराने खसरा नबंर 1033 मिन थे। उक्त पुराने खसरा नबंर 1032 मौजा करडा की खातेदारी आराजी में सुलेमान वल्द धीरा का हिस्सा मुझ वादी के भाई मसरू व मुझ वादी के नाम से खरीद किया हुआ है। बैचानकर्ता सुलेमान मुझ वादी के दादा युसुफ के सगे भाई थे, उक्त खसरा नबंर 1032 की आराजी सुलेमान से खरीद की थी, उक्त बैचान दस्तावेज में भूल से मुझ वादी का नाम जमा लिख दिया गया, जबकि उक्त जमा मेरा धर का सिमित समय के लिए नाम रहा था, इसी प्रकार पुरानी खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1033 मौजा करडा के खेत को मसरू मुझ वादी हुसेन भाई व हनीफ पिसरान कासम कौम मोयला मुसलमान ने बैचानकर्ता युसुफ पुत्र धीरा से खरीद किया था। उक्त बैचानकर्ता युसुफ मुझ वादी के सगे भाई थे। उक्त आराजी को खरीद करते समय भी मुझ खरीददार का नाम भुल से जमाल लिख दिया गया जबकि मेरा नाम जमाल (जमा) नाम घर के सदस्यों के बीच सीमित समय के लियें रहा। जिसको मेरे दादा व दादा के भाई ने बैचान खातेदारी हक में भुल से इन्द्राज करवा दिया। उक्त खरीद सुदा आराजी के अलावा पुराना खसरा नबंर 521 व 1146 तथा 1146 मिन की आराजी मौजा करडा की मुझ वादी की पुश्तैनी आराजी थी। बैचान दस्तावेज के बाद मेरे नाम का म्युटेशन जमा (जमाल) नाम से भरे जाने के बाद मेरी पुश्तैनी आराजी में भी उसी गलती का दोहरान हो गया तथा मेरी पुश्तैनी आराजी में मेरा नाम हुसैन भाई की जगह जमा (जमाल) लिख दिया गया। इस प्रकार मेरी खरीद सुदा आराजी व पुश्तैनी आराजी के संपुर्ण हिस्से में मेरा घरेलु नाम ईन्द्राज करने की भुल उक्त जमा (जमाल) का नाम रेकर्ड दुरूस्ती का पेश का रहा हुॅ।

2. जिस वक्त उक्त दोनों दस्तावेज कायम किये गये, उक्त समय को खरीददार को दस्तावेज पंजीबद्व करवाते समय उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वादी उक्त समय को पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था तथा बैचान दस्तावेज में वादी के दादा युसुफ व वादी के दादा के भाई सुलेमान ने बैचान दस्तावेज में बतौर खरीददार भुल से मुझ वादी का नाम जमा (जमाल) लिखवा दिया। उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन में भी उक्त नाम कायम रखा गया। उसके बाद से उक्त गलती से दर्ज घरेलु नाम जमा (जमाल) आज दिन तक चलता रहा, मगर मुझ वादी के समस्त दस्तावेज जैसे भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा परिवार राशन कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम हुसैन भाई लिखा हुआ है। मेरी पत्नि जैतुन बानु के नाम का भामाशाह कार्ड बना हुआ है। जिसमें मेरी पत्नि के नाम के पीछे पति का नाम हुसैन भाई लिखा हुआ है। मेरे समस्त प्रकार के कागजी दस्तावेज हुसैन भाई के नाम से बनाये हुए है, तथा मै हुसैन भाई के नाम से जाना–पहचाना जाता है। मुझ वादी को मेरे खातेदारी खेत में ऋण लेने में जमा (जमाल) नाम से भारी दिक्कत होती है तथा मुझे मेरी आराजी पर ऋण नहीं मिलता है। तथा भविष्य में भी इस प्रकार के नाम से मुझे भविष्य में बाधा पैदा होने की संभावना है, इसलिये मै वादी मेरा घरेलु नाम जाम (जमाल) को बदलकर मेरा दस्तावेजी नाम हुसैनभाई दर्ज करवाना चाहता हुॅ।

3. खातेदारी खेत खसरा नबंर 1637 रकबा 0.92 हैक्टर की आराजी मेरी पुश्तैनी खातेदारी आराजी है जो कि पुराने खसरा नबंर 521 [illegible] की गई है। पुराना खसरा नबंर 521 खतौनी बंदोबस्त 2011 से 2029 में [illegible] युसुफ वल्द धीरा कौम मुसलमान साकिन हेद पशायतेदार दर्ज था। उक्त खतौनी बंदोबस्त में मेरे पूर्वज युसुफ की जाति मुसला दर्ज की हुई है। पुराने खसरा नबंर 521 को नये खसरा नबंर 1637 कायम हुए जिसमें बतौर खातेदार युसुफ वल्द धीरा कौम मुसलमान (मोयला) साकिन हेद खातेदारी मिसल बंदोबस्त संवत् 2046 से 2065 में दर्ज हुआ। इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंन्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

मिसल बंदोबस्त में मेरे पुर्वज युसुफ की जाती मुसलमान दर्ज रही, उक्त जाति सवत 2066–2069 की जमाबंदी खसरा नम्बर 1637 में कौम मुसलमान के रूप में दर्ज रही, मगर जमाबंदी सवत 2074–2077 के खसरा नम्बर 1637 मे खातेदार मुझ वादी सहित अन्य खातेदारों की जाति मुसलमान की बजाय भुल से महाजन कर दी गई। उक्त जमाबंदी में खसरा नम्बर 1637 में मुझ वादी सहित कुल 9 खातेदारों के नाम दर्ज है। जिसमें खातेदार अहमद पुत्र मसरू को छोड़ कर सभी खातेदारों की जाति भुल से मुसलमान की जगह महाजन कर दी गई। इसलिए भुल से की गई महाजन जाति को जरिए रेकर्ड दुरूस्ती के वादी भुल सुधार करवाकर जाति मुसलमान करवाना चाहता है जिस हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

4. विनायवाद तक पैदा हुआ जब बैचान दस्तावेज दिनांक 13.8.1981 व दिनांक 21.6.1980 में भुल से मुझ वादी का नाम जमा(जमाल) लिख दिया तथा वादकारण तब पैदा हुआ तब उसी प्रकार की गलती का दौहरान पुश्तैनी खातेदारी आराजी में कर दिया गया। तथा विनायवाद उस समय पैदा हुआ जब वादी अपनी खातेदारी आराजी पर ऋण लेने गया तो वादी को जमा (जमाल) नाम की खातेदारी आराजी पर ऋण देने का मना कर दिया तथा कहा कि आपका खातेदारी में नाम तथा अन्य दस्तावेजों में नाम अलग–अलग दर्ज है, इसलिए ऋण नहीं दिया जायेगा तथा बिना ऋण के फसल बीमा करवाने की दिक्कत रहती तथा विनायवाद तब पैदा हुआ जब वादी की पुश्तैनी आराजी के खसरा नबंर 1637 में वादी सहित अन्य सहखातेदारों की जाति भुल से मुसलमान की जगह महाजन दर्ज कर दी गई, उक्त वादकारण बदस्तुर आज दिन तक चालु है। अतः मौजा ओपा की ढाणी की वादग्रस्त खातेदारी आराजी के खाता संख्या 8 खसरा नबंर 3639 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नबंर 3640 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 3641 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 3642 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 3643 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 3644 रकबा 1.96 हैक्टर, जुमले रकबा 3.61 हैक्टर, खाता संख्या 5 के खसरा नबंर 1637 रकबा 0.92 हैक्टर, खाता संख्या 6 के खसरा नबंर 3335 रकबा 5.35 हैक्टर, खाता संख्या 7 के खसरा नबंर 3336 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 3337 रकबा 0.10 हैक्टर जुमले रकबा 0.11 हैक्टर में खातेदार का नाम जमा (जमाल) का नाम हटाकर हुसैनभाई नाम दर्ज किया जावे व खसरा नबंर 1637 की आराजी में वादी के नाम संशोधन के साथ–साथ भुल से दर्ज की गई महाजन जाति को दुरूस्त कर महाजन की जगह मुसलमान दर्ज की जावें। तथा उक्त आशय की तहरीर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हेतु तहसीलदार को भेजी जावें।

5. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 9, 11, 15, 16 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12,13, 14 की ओर से ईकबालिया जवाब पेश कर वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया।

6. प्रतिवादी संख्या 17 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया, जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 6, 7, 8, मे सहखातेदार राजस्व रेकॉर्ड मे जमाल पिता कासम जाति मोयला मुसलमान सा. देह खातेदार दर्ज है जबकि वादी के [illegible] दस्तावेजो में हुसैनभाई पुत्र कासमभाई शेख दर्ज है, जो सही व शुद्ध [illegible] है। जमाल व हुसैनभाई नाम दोनो नाम एक ही वादी का नाम होने से राजस्व [illegible] में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना भी उचित है। वादी द्वारा ग्राम ओपा की ढाणी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2074 – 2077 के खाता संख्या 5 कुल खसरा 1 रकबा 0.92 हेक्टेयर में भी सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में श्री जमाल पुत्र कासम जाति महाजन सा. देह खातेदार दर्ज है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

जबकि वादी के पहचान के समस्त दस्तावेजों में हुसैनभाई पुत्र कासमभाई शेख दर्ज है। तथा इस खाते में सहवन से जाति महाजन दर्ज हो गई, जो गलत होकर अशुद्व है। जबकि शुद्व सही जाति मुसलमान दर्ज किया जाना उचित है।

7. वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 17 तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि के कारण वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी सहायता ऋण वगैरा से प्रार्थीगण वंचित रह रहे है। जिस कारण मौजा ओपा की ढाणी के खाता संख्या 5, 6, 7, 8, में राजस्व त्रुटि को शुद्व कर सहखातेदार का नाम जमा (जमाल) का नाम हटाकर हुसैन भाई नाम दर्ज किया जावें व खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 1637 में वादी के नाम संशोधन के साथ भूल से दर्ज की गई महाजन जाति को दुरूस्त कर महाजन की जगह मुसलमान दर्ज का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने तथा राजस्व त्रुटि को शुद्व करने का आदेश फरमावें।
8. प्रतिवादी संख्या 17 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए मौजा ओपा की ढाणी के खाता संख्या 5, 6, 7, 8, मे सहखातेदार राजस्व रेकॉर्ड मे जमाल पिता कासम जाति मोयला मुसलमान की बजाय हुसैनभाई के नाम की व खाता संख्या 5 में वादी की जाति महाजन के बजाय मुसलमान की जाने की दुरूस्ती किया जाना उचित बताया।
9. हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजों का भली–भांती अवलोकन किया व प्रतिवादी अधिवक्ता व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब का अध्ययन किया। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा के बहस तथ्यों पर मनन किया। वादी के प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब व बहस तथ्यों के आधार पर मौजा ओपा की ढाणी, पटवार हल्का करड़ा की जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 5, 6, 7 ,8 में वर्णित आराजी में सहखातेदार जमा (जमाल) पुत्र कासम के स्थान पर हुसैनाभाई पुत्र कासम का नाम संशोधन व खाता संख्या 5 में वादी की जाति का नाम महाजन के बजाय मुसलमान किये जाने की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

10. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ओपा की ढाणी पटवार हल्का करड़ा की जमाबंदी सवंत 2074–2077 के खाता संख्या 5, 6, 7, 8 में वर्णित खातेदारी खसरान की कृषि भूमि में जरिये संशोधित रेकर्ड दुरूस्ती घोषणा में सहखातेदार का अशुद्व (गलत) नाम **जमा (जमाल) पुत्र कासम के बजाय हुसैनभाई पुत्र कासम** के नाम व **खाता संख्या 5 में वादी की जाति महाजन के बजाय मुसलमान**

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

जाति की दुरूस्ती की घोषणा की जाति है। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हुसेनभाई पुत्र कासमभाई कौम शेख मोयला मुसलमान निवासी ओपा की ढाणी करडा तहसील रानीवाडा जिला– जालोर		1. अहमद पुत्र मसरू 2. आलम पुत्र मसरू 3. इब्राहीम पुत्र युसुफ 4. जवता पुत्री रायधन 5. त्रिजा पुत्री रायधन 6. बरगद पुत्र मसरू 7. मेथीबानु पत्नि रायधन 8. मेहबुब पुत्र मसरू 9. रजाक पुत्र मसरू 10. लादु पुत्र कासम 11. सकीना पुत्री रायधन 12. सताबी पत्नि मसरू 13. सदीकखां पुत्र रायधन 14. सुबानखां पुत्र रायधन 15. हबीब पुत्र मसरू जातियान मोयला मुसलमान निवासी ओपा की ढाणी तहसील रानीवाडा जिला जालोर 16. एस.बी.आई शाखा रानीवाडा 17. तहसीलदार रानीवाडा
दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा		

राजस्व वाद संख्या 38/2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई, तथा प्रतिवादी सं0 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12,13, 14 की ओर से वकील श्री वीरबहादुरसिंह देवडा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 9, 11, 15, 16 की ओर कोई उपस्थित नहीं होने एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा ओपा की ढाणी पटवार हल्का करड़ा की जमाबंदी सवंत 2074–2077 के खाता संख्या 5, 6, 7, 8 में वर्णित खातेदारी खसरान की कृषि भूमि में जरिये संशोधित रेकर्ड दुरूस्ती घोषणा में सहखातेदार का अशुद्व (गलत) नाम **जमा (जमाल) पुत्र कासम के बजाय हुसैनभाई पुत्र कासम** के नाम व **खाता संख्या 5 में वादी की जाति महाजन के बजाय मुसलमान** जाति की दुरूस्ती की घोषणा की जाति है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख [illegible]22 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	1	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested